IJAER/ June-July 2012 /Volume-1/Issue-1/Article No-24/141-145 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

भारतीय दलित समाज में महिलायें एवं मानवाधिकार

डॉ० धर्मवीर महाजन
शोध निर्देशक
समाजशास्त्र विभाग
सी०एम०जे० विश्वविद्यालय
राय-भोई, जोरबाट, मेघालय।

संजीव कुमार आत्रेय
शोधार्थी
समाजशास्त्र विभाग
सी०एम०जे० विश्वविद्यालय,
राय-भोई, जोरबाट, मेघालय।

प्राचीनकाल से ही भारतीय समाज में अनेक प्रकार राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक असमानताएं जाति व्यवस्था पर हैं उसमें भी इन में सर्वाधिक निम्न स्तर अनुसूचित जाति का हैं यह वर्ग सबसे कमजोर वर्ग हैं। यह अपने जीवन को उच्च स्तर पर उठा नहीं पा रहे हैं। पूर्व काल में दलितों कोसामाजिक न्याय दिलाने तथा इस वर्ग के शोषण की समाप्ति के लिए धार्मिक एवंसमाज सुधार आन्दोलन चलाये गये यद्यपि कुछ सन्तों ने भक्तिकाल से हीसामाजिक बुराईयों की समाप्ति की रचनात्मक कार्यवाहीं का डॉ० भीमरावअम्बेडकर को जाता है। इन्होंने इस वर्ग को राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिकजीवन को सुधारने का श्रेय जाता है।

अस्पृश्यता अथवा अछूत प्रथा भारतीय समाज पर एक कलंक है। ६७ वर्षपूर्व में जब हमारा भारत आजाद हुआ था तब भी अछूत या हरिजन जातियाँ अन्याय और अत्याचारों की शिकार रहीं तथा अनेक सामाजिक और मौलिक अधिकारों से वंचित रहीं। उन्हें न तो सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश पाने का अधिकार था और न वे किसी के साथ उठ-बैठ सकते थे। यहाँ तक कि यदि किसी कोस्पर्श कर देते थे तो उन्हें लात-घूसों से पीटा जाता था। उनके रहने की व्यवस्था भी सामान्य नागरिकों के मुहल्लों से अलग अथवा ग्राम से बाहर की जाती थी। उन पर अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक निर्योग्यतायें लाद दी गई थी।

महात्मा गांधी ने भी माना कि इस जाति अर्थात् अस्पृश्यों की दयनीय दशाहै। उन्होंने लिखा भी कि 'अछूत व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से कोढ़ी और आर्थिकदृष्टि से गुलामों से भी बुरी दशा में है। धार्मिक दृष्टि से उन्हें उन स्थानों में भी जिन्हें हम भगवान का घर मानते हैं प्रविष्ट होना निषिद्ध है। इन सब बातों सेस्पष्ट होता है कि हमारे देश की हिन्दू जाति का यह २५ प्रतिशत भाग नरकीय जीवन व्यतीत कर रहा है। इस प्रकार की स्थिति ने हिन्दू जाति के माथे परकलंक का अमिट टीका लगा दिया है।' हिन्दू समाज में सबसे निम्न स्तर दलितोंका था इनके अनेकों समूह थे। शताब्दियों तक इन्हें सवर्णों ने अस्पृश्य बनाएरखा। इनकी तीन श्रेणियां थी, अस्पृश्य, असभ्य तथा अदर्शनीय, स्वतंत्र भारत केसंविधान निमार्ण के समय इनकी संख्या लगभग ६ करोड़ थी जो उस समय जनसंख्या का २० प्रतिशत था। भारत में विभिन्न भागों में इनके विभिन्न नामों का प्रयोग होता था, जातिच्युत, अवर्ण, अस्पृश्य, पैरिया, पंचम्भा, अति शूद्र, अन्त्यज, नामशूद्र आदि। इन पर कठोर समाजिक प्रतिबन्ध निषेद आरोपित थे।

दलित वर्ग का उल्लेख छान्दोग्य उपनिषद् में **'चाण्डाल'** नाम से हुआ हैं जिनकी गणना कुत्तों और सुअरों के साथ की जाती हैं। अनुसूचित जातियों कीराजनैतिक भागीदारी व राजनैतिक जागरुकता के सम्बन्ध में डॉ० भीमराव रामजी अम्बेडकर (१८९१-१९५६), अयन कल्ली (१८६३-१९१४), जोतिराव गोविन्दराव फुले (१८२७-१८९०), सावित्री बाई फुले (१८३१-१८९७), ई०वी० राधास्वामी नायकर (१८७९-१९७३), श्री नारायण गुरू (१८५६-१९२८), के प्रयास युगान्तकारी होने केसाथ-साथ वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को भी प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं। प्रारम्भ में ब्रिटिश शासकों ने भी अछूत वर्ग का ज्यादा उत्थान नहीं किया।

अंग्रेजों द्वारा भी इन अछूत वर्ग के लोगों से अपनी सेवा करायी और इन्हें हीअपना नौकर (सेवादार) बनाया गया फिर भी अंग्रेजों द्वारा इनका धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म में परिवर्तन का संकल्प लिया गया। चूँकि ईसाई बनने से धर्मपरिवर्तन के कारण इन्हें अच्छी नौकरी भी मिल जाती थी। इसलिए कलकत्ता,बम्बई जो अब मुम्बई है आदि शहरों के दलितों को ईसाई बनाकर इनको अच्छीनौकरी का अवसर प्राप्त हुआ।

रामास्वामी नायकर, अम्बेडकर तथा स्वामी अछूतानंद आदि ने जिन मानवीयरुढ़ियों तथा प्रथाओं को ध्वस्त कर नए समाज की रचना में जीवन भर संघर्षकिया उसी के विपरीत ब्राह्मणवाद फिर से सामाजिक न्याय के मार्ग पर आकर खड़ा हो गया है। स्वर्णों के भीतर की विकृतियाँ पुनः उभरने लगी हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना १८८५ में हुई थी और इसके अंग्रेज अधिकारी (ए०ओ० ह्यूम) थे।

दलित वर्ग की राजनीतिक सहभागिता का उदय वर्ष १९१७ से रहा। यह वर्ष भारत में दलितों के सामाजिक व राजनैतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष था। ३ अप्रैल १९२७ को डा० अम्बेडकर ने दलित समाज को एकजुट बनाये रखने,उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने, दूसरे शब्दों में, राजनैतिक सहभागिता का संचार करने के लिए एक पत्रिका **'बहिष्कृत भारत'**के नाम से निकाली। आज अनुसूचित जाति की महिला सुश्री मायावती जी उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमन्त्री का पद सम्भाल चुकी हैं और अब भी वह राजनीतिक स्तर पर अतिमहत्वपूर्ण हो चली हैं वह बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बहन जी, ने अपने बल पर सबसे बड़े प्रान्त की बागडोर हासिल की है।

मानवाधिकार की भावना का उदय सभ्यता के साथ ही हो गया था। मनुष्य प्राणियों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि उसमें बुद्धि है और इस बुद्धि के प्रयोग से वह स्वतः ही तथा दूसरों की सुख-सुविधा के बारे में भी सोचता है। इस परोपकार के कारण ही मनुष्य प्राणियों में सिरमोर तथा सभ्य है। इसलिए मनुष्य के कुछ कर्त्तव्यों का प्रादुर्भाव सभ्यता के साथ हुआ। महिलाएं समाज के लगभग आधे (५८ करोड़ जनसंख्या) भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं लेकिन उनकी अब तक की राजनैतिक सहभागिता के स्तर को देखा जाये तो वह लगभग नगण्य ही है।

मानव अधिकार क्या है-

मानवाधिकारों का अर्थ मानवीय मूल्यों की संरक्षा से है। व्यक्ति के निजी विकास के लिए सम्पूर्ण संसाधनों का उपयोग अधिकार के रूप में किया जाना ही सामान्यतः मानवाधिकार है। राज्य के उद्‌भव से पूर्व मनुष्य इन अधिकारों का दावानिजी सुरक्षा के लिए करता था। वर्तमान में राज्य मानव विकास के लिए युक्ती-युक्त अवसर की सुरक्षा देता है। अतः यही मानव सुरक्षा मानवाधिकार कहलाते हैं।

आर०जे० विसेन्ट 'मानव अधिकार वह अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त हैं। इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित हैं।'

एम०ए० सईद का विचार है कि 'मानव अधिकारों का सम्बन्ध व्यक्ति की गरिमा से है एवं आत्म सम्मान का अभाव जो व्यक्तिगत पहचान को रेखांकितकरता है तथा मानव समाज को आगे बढ़ाता है।'

भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक १४ मई १९७२ को लोकसभा में रखा। २८ सितम्बर १९७३ को राष्ट्रपति द्वारा मानव अधिकार सम्बन्धी अध्यादेश जारी किया गया। इसमें कुछ सुझावों व संशोधन के उपरान्त विधेयक दोनों सदनोंमें पारित कराया गया। उसके बाद ही मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम के रूप में विख्यात हुआ। आयोग का गठन १२ अक्टूबर १९९३ को मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत किया गया था।

१. नागरिक-

नागरिक अधिकार एवं स्वतंत्राओं से अभिप्राय उन अधिकारों से है, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से सम्बन्धित हैं।

२. राजनैतिक-

यह लोकतंत्र का आधार स्तम्भ है। यह अधिकार किसी व्यक्ति को राज्यकी सरकार में भागीदारी करने की स्वीकृति देता है।

३. सामाजिक-

इसका तात्पर्य यह है कि समाज में धर्म, जाति, भाषा, सम्पत्ति, वर्ग या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये।

४. आर्थिक-

रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता हैं। इसके लिये वह मर भी सकता है और दूसरों को मार भी सकता है। अरस्तु मनुष्य आर्थिक स्तर पर अधिक विषमताएं नहीं होना चाहिए बल्कि सम्पत्ति एवं उत्पादन के साधनों का न्याय संगत वितरण किया जाना चाहिए ताकि मानव जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ण हो सकें।

५. सांस्कृतिक-
विश्व के भिन्न-भिन्न भागों में रहने वाले मानवों के विविध प्रकार की सांस्कृतियां, रीति-रिवाज, परम्पराएं, विश्वास, रूढ़ियां व मान्यताएं प्रचलित हैं।

वैदिक काल में महिलाओं का इतिहास-
अतीत काल में महिला शिक्षा ने अत्यधिक प्रगति की थी। वैदिक काल में भारतीय नारी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। ब्राह्मण कन्याओं कोवैदिक ऋचाओं की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में समाज में कन्या को पुत्र की संज्ञा दी जाती थी एवं कन्या जन्म के समय, पुत्र के समान ही खुशियॉ मनाईजाती थी। प्रसिद्ध चार वेद- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं।

उत्तर वैदिक काल-
उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति उत्तम प्रतीत होती है। उसे समाज में पुरुषों के समकक्ष स्थान प्राप्त था।

महाभारत काल-
महाभारत में कन्या का जन्म होना अशुभ माना जाने लगा था, इसका संकेत एक ही मिलता है। यद्यपि इस युग में कन्या का जन्म होने पर उसको लक्ष्मी मानाजाता था और पुत्री की रक्षा पितृ धर्म माना जाता था।

गुप्त काल-
गुप्त काल के आरम्भ में नारी की स्थिति दयनीय अवस्था में पहुँच चुकी थी। नारी की स्वतन्त्रता का अधिकार छीन लिया था। स्त्रियों को वेद तथा पुराणपढ़ने एवं सुनने का जो अधिकार था वह समाप्त कर दिया गया। केवल उच्चघरानों की नारी ही अध्यापन कर सकती थी। इस समय में दास व दासी दोनोंकी प्रथा थी। दासी बड़े-बड़े राजघरानों में काम करती थी।

मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति-
इस समय मुसलमानों के कारण भी स्त्रियों की दशा बहुत शोचनीय हो गयी थी। मुसलमान शासक हिन्दू कन्याओं का अपहरण कर लेते थे। जिनके भय से उस समय परिवार में कन्या का जन्म होते ही मार दिया जाता था। जिस कारण समाज में 'कन्या वध' जैसी एक कुप्रथा प्रारम्भ हो गई।

पर्दा प्रथा-
मध्यकाल में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। मुस्लिम महिला पर्दे में रहा करती थी। लड़की युवा होते ही पर्दे में रहने लगती थी।

मिस कोपर के कथन केअनुसार, 'भारत में पर्दा प्रथा का चलन मुसलमानों द्वारा किया गया, इससे पहले भारतीय महिलायें स्वतन्त्रता पूर्वक घूमा करती थी।'

सती प्रथा-
मध्ययुग में विधवा स्त्रियों की दशा अत्यधिक दयनीय व शोचनीय थी। प्राचीन युग में विधवा नारी को अपना पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त था।लेकिन मध्ययुग में उनके पुनर्विवाह करने पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये गये और सती प्रथा का प्रारम्भ हो गया।

आधुनिक काल-
१९वीं शताब्दी को भारतीय इतिहास में आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में प्रारम्भ में महिलाओं की स्थिति अधिक उत्तम न थी।महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का दर्जा प्राप्त था। इस समय के आरम्भ में महिलाओंकी शिक्षा की उपेक्षा की जाती थी। किन्तु आधुनिक समय में नारी अपने प्राचीन गुणों का वहन करते हुए आज समाज में पुरुषों की भॉति अपना उच्च स्थान बनाये हुए है। वह पुरुषों के साथकन्धे से कन्धा मिलाकर सभी क्षेत्रों में आगे आई है।

ब्रिटिश काल में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए किये गये प्रयत्न:-
ब्रह्म समाज-

इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। राजा राम मोहनराय द्वारा बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, महिलाओं की अशिक्षा, विधवा विवाह आदि का घोर विरोध किया गया तथा इन सभी कुरीतियों को दूर करने के यथा संभव प्रयत्न किये गये।

आर्य समाज-

इसके संस्थापक श्री दयानंद सरस्वती ने भी बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दाप्रथा का विरोध करते हुए महिला शिक्षा पर बल दिया।

मानव अधिकारों का ऐतिहासिक परिपेक्ष्य-

मानव जाति का परम लक्ष्य एक मानवीय समाज की रचना करना है यह मनुष्य की सर्वप्राचीन आकांक्षा रही है। इसका मूल प्राचीन भारतीय सभ्यता, वैदिक साहित्य तथा बुद्ध के उपदेशों में मिलता है। मानवीयता के विषय में मानव में विभेद हो सकता है लेकिन मौलिक मानवीय अवधारणा सभी तरह के वाद विवाद में समान रही है। समकालीन समाज में इसे मानव अधिकार के रूप में जाना जाता है। मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो मानवीय जीवन और व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं।

मानव अधिकारों का गठन-

मानव अधिकारों की प्राकृतिक व्यवस्था एवं मान्यता के बावजूद, निरंकुश राजतंत्रों के युग में राजसत्ताओं द्वारा मनुष्यों के अधिकार छीनकर उनके ऊपर अमानुषिक अत्याचार किये जाते है। इस संघर्ष गाथा की परिणति ब्रिटेन केरनीमेड नामक स्थान पर १५ जून १२१५ को तब हुई जबकि तत्कलीन सम्राट जॉन को वहॉ के सामन्तों द्वारा अपने परम्परागत अधिकारों को मान्यता देने के लिए उसे एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को विवश किया गया। अतः यह १० दिसम्बर का दिवस हथियारों की बर्बरता के विरुद्ध शान्ति एवं सहअस्तित्व की भावना का प्रतीक था।

भारत में मानव अधिकार-

मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने कमजोर वर्गों के हितों के लिए आयोगों का गठन किया जैसे अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्गआयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, लेकिन इन सबसे बढ़कर १२ अक्टूबर १९९३ को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया।

भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन-

भारत सरकार ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक १४ मई १९९२ को लोकसभा में रखा। २८ सितम्बर १९९३ को राष्ट्रपति द्वारा मानव अधिकार सम्बन्धी अध्यादेश जारी किया गया। आयोग कागठन १२ अक्टूबर १९९३ को मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत किया गया था।

महिलायें एवं मानव अधिकार-

भारत में महिलाओं के मानव अधिकारों का हनन व महिलाओ के विरुद्ध अपराध, नैतिकता का ह्रास, भौतिकतावादी, पैसा कमाने की अन्धी दौड़, फैशन, अश्लील व सेक्सी फिल्में, महिलाओं की दब्बू प्रवृत्ति आदि भी महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के पीछे प्रमुख कारण हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग-

राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के संरक्षण के लिए है। महिलाओं के सन्दर्भ में राष्ट्रीय महिला आयोग, पं० दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-११०००२ पर शिकायत की जा सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा बरखा सिंह हैं एवं हर राज्य में इसकी शाखाएं विद्यमान हैं। वहाँ पर महिला उत्पीड़न के मामले के सन्दर्भ में शिकायत की जा सकती है।

महिलाओं का योगदान एवं मानवाधिकार-

राजाराम मोहन राय जी ने समाज सुधारों के रूप में महिलाओं की सुरक्षा हेतु २० अगस्त १८२८ को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानन्द भी स्त्रियों का आदर करते थे। वे महिलाओं कोआत्मनिर्भर बनाना चाहते थे कि स्त्रियों में इतनी शक्ति होनी चाहिए जिससे वहअपनी रक्षा कर सके। संविधान के तिहत्तरवें और चौहदवें संशोधन ने तय किया है कि स्थानीय संस्थाओं की समस्त सदस्य संख्या के आधार पर एक तिहाई सदस्य महिला होगी। इन संस्थाओं के तिहाई अध्यक्ष पदों पर महिलाओं को प्रतिष्ठत करने का प्रावधान है।

सन्दर्भ ग्रन्थ-

१. प्रज्ञा शर्मा (२००६) 'महिलाओं के प्रति अपराध', पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर।
२. डा० एस०के० कपूर (२०१३) 'भारत में मानवाधिकार', सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।
३. डा० दुर्गादास बसु (२०१२) 'भारत का संविधान- एक परिचय', एक्सिस नेक्सस, गुड़गांव, हरियाणा।
४. ए०एस० अल्टेकर (१९८८)'पोजीशन आफ वूमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन'।
५. ए० स्मिथ बीसेन्ट (१९९३)'ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' द्वितीय संस्करण।
६. प्रभा आप्टे (२०१३)'भारतीय समाज में नारी', क्लासिक पब्लिशिंग हाउस,जयपुर।